5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

पाँच रुपये FIVE RUPEES

28

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी 1299-II-15

बाबूलाल तनय चिंखे कुशवाहा
निवासी करमारई तह. व जिला टीकमगढ़ (म०प्र०) ....आवेदक

//विरूद्ध//

1. करन, रामरतन, पुष्पेन्द्र, पुत्रगण रामकिशोर यादव,
2. श्रीमति रामदेवी पत्नि अमान काछी
3. श्रीमति शांति पत्नि सुन्दर काछी
4. राजाबाई पत्नि पन्ना काछी
5. जशोदा पत्नि रतीराम काछी
6. मनु तनय किकरे काछी

सभी निवासी ग्राम करमारई,
तह. व जिला टीकमगढ़ (म०प्र०) ....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक ने न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर (म.प्र.) के प्रकरण क्रमाँक अ–5/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 07–05–2015 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन के निर्देशानुसार नक्शा तरमीम के निर्देश दिए जाने पर दिनांक 19.11.11 को वृहत् लोक अदालत के परिप्रेक्ष्य में खसरा नंबर 211 की तरमीम समस्त हितवत पक्षकारों की सुनवाई उपरांत खसरा वटांक का न्यायोचित आदेश पारित किया गया था । आवेदक का 211/3 भूमि स्वामित्व की भूमि है जिस पर वह काबिज चला आ रहा है

2. यह कि आवेदक की भूमि 211/3 पर अनावेदकगण का अंशभाग पर कब्जा पाया गया है जिसके संबंध में न्यायालय तहसीलदार समर्रा के प्र.क्र. 2/अ–70/12–13 आदेश दिनांक 11.06.13 जिसमें अनावेदकगणों के अवैद्य कब्जा को हटाये जाने का विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध कोई भी कार्यावाही अनावेदकगणों द्वारा न कर दूषित रूप से विचारण न्यायालय के तरमीम आदेश दिनांक 19.11.11 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें आवेदकगणों

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक–निगरानी 1299–एक / 2015 जिला–टीकमगढ़

बाबूलाल विरूद्ध करन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–09–18	आवेदक बाबूलाल एवं उनके अभिभाषक श्री ओ.पी. शर्मा द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण आगे न संचालित करने का अनुरोध किया है। आवेदक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये प्रकरण नोटप्रेस में समाप्त किया जाता है। 2/ प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। 19.9.18 (आर.के. जैन) सदस्य	